09/1/22

निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता उक्त निगरानी में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं निगरानी को मौजूदा सूरत में ही दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि उक्त अनवानी निगरानी मौजूदा सूरत में ही दाखिल दफ्तर फरमायी जावे। अतः निगरानीकर्ता के द्वारा स्वयं निगरानी नहीं चलाने पर निगरानी खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति संबधित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर